

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 228

दिनांक : 18.06.2022

22

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, के समक्ष इस विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत लेखा अभिलेखों के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित वार्षिक लेखों का संधारण एवं प्रमाणीकरण सम्बन्धी आक्षेप संख्या 13 द्वारा यह तथ्य अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि संस्था के अधीनस्थ इकाई प्राधिकारी कार्यालयों के आय-व्यय लेखे अलग-अलग संधारित नहीं किये जा रहे हैं। इस कारण से जांच दल द्वारा प्राधिकारियों के कार्यालयों की रोकड़ बहियों अनुसार आय-व्यय का सत्यापन लेखों से नहीं किया जा सका।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष की समाप्ती तक रोकड़ बहियों अनुसार बैंक खातों का मिलान कर, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियों का इंद्राज रोकड़ बहियों में कर, रोकड़ बहियों का प्रारम्भिक एवं अन्तिम एवं शेष को शामिल करते हुए, वर्ष में प्राप्तियों एवं भुगतान अनुसार प्रति वर्ष आय-व्यय का लेखा, यूनिट वाइज तैयार करे तथा विश्वविद्यालय स्तर पर इन आय-व्यय लेखों की जांच कर संकलित कराने की आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उक्तानुसार, जारी इस अति आवश्यक निर्देश की विश्वविद्यालय में पालना सुनिश्चित करावे ताकि अंकेक्षण के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार भविष्य में जांच दल द्वारा लेखों के सत्यापन इत्यादि का कार्य सुगमता पूर्वक किया जा सके।

sdl

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

sdl

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक